आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21.04.15	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया। जमाबंदी सुधार वाद संख्या–308/2012–13 सरकार, बनाम महेन्द्र यादव, वो० आदेश यह वाद अंचल अधिकारी, ठकराहाँ के पत्रांक 338 दिनांक 18.07.2012 द्वारा प्राप्त अंचल विविध वाद संख्या 02/2011–12 में निहित प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि महेन्द्र यादव, पिता–स्व० भरत यादव ग्राम–श्रीनगर अंचल ठकराहाँ द्वारा अंचल अधिकारी, ठकराहाँ को आवेदन पत्र दिया गया कि खाता संख्या–121, खेसरा संख्या–1565 रकबा–1 विगहा 3 कट्ठा 4 धुर एवं खाता संख्या 122 खेसरा संख्या 1567 रकबा 1 विगहा 14 कट्ठा 13 धुर कुल रकबा 2 विगहा 17 कट्ठा 17 धुर है। यह जमीन उनके बाबा स्व०– मोलहु अहीर के नाम से सर्वे खतियान में चलता आ रहा है, जिसपर उसी समय से इस पर उनका दखल कब्जा है। अतः उन्होने इस जमीन का लगान निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया है। एक नन्दु यादव, ग्राम–श्रीनगर प्रखण्ड ठकराहाँ ने अंचल अधिकारी, ठकराहाँ को आवेदन पत्र दिया कि सन् 1986–87 में गोधन अहीर के नाम से जमाबन्दी है। जिसका जमाबन्दी संख्या–131 है, लेकिन जमाबन्दीदार के पास ना तो कोई खतियान है, और ना कोई निलामी का कागजात है। वे गलत ठंग से जमाबन्दी का रसीद कटाते है। उन्होने आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनके दादा मोलहु अहीर के नाम पर खाता संख्या 121,122 खेसरा संख्या 1565, 1567 रकबा 2 विगहा 17 कट्ठा 17 धुर सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियान के खाना संख्या 10 में यह जमीन सिकमी करके दर्ज है। अतः उन्होने जमाबन्दी संख्या 131 पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया है।	

21-4-15

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी ठकराहाँ द्वारा विविध वाद संख्या– 2/2011–12 प्रारंभ कर कार्रवाई की गई एवं संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई हेतु नोटिस दी गई। इस वाद में महेन्द्र यादव को वादी एवं गोधन अहीर को प्रतिवादी बनाया गया है।

अंचल अधिकारी, ठकराहाँ ने अभिलेख के दिनांक 16.02.2012 के आदेश फलक में उल्लेख किया है कि हल्का कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व कागजातो से जाँच कर प्रतिवेदन दिया गया है (अभिलेख के साथ संलग्न) कि राजस्व कागजातो का अवलोकन से पता चलता है कि ग्राम–श्रीनगर, थाना–434 के खाता संख्या 289 खेसरा संख्या 1565 एवं 1567 तथा 3114 खेसरा 22 मिला कर कुल रकबा 11 विगहा 15 कट्ठा 14 धुर सोभराती मियाँ कौम जोलहा के नाम से सर्वे खतियान में अंकित है। सर्वे खतियान के कॉलम 2 में खतियानी रैयत के नीचे मंदीर भगत, वल्द– शोभाव राउत कौम अहीर साकिन–देहे मुरत बीन मो० चालीस साकिन जुबानी अंकित है। उन्होने यह भी उल्लेखित किया है कि सर्वे खतियान के अवलोकन से यह विदित होता है कि खाता संख्या 121, खेसरा संख्या 1565 रकबा 7 विगहा 03 कट्ठा 04 धुर एवं खाता संख्या 122 खेसरा 1567 रकबा 1 विगहा 14 कट्ठा 13 धुर कुल रकबा 2 विगहा 17 कट्ठा 17 धुर मोलहु अहीर वल्द लालमन अहीर, कौम अहीर साकिन– देहे सिकमी अंकित है। खाता संख्या 121,122 के सर्वे खतियान के कॉलम में 10 में सिकमी खाता हाजागल मंदिर भगत मुरत बीन पाते है, ऐसा अंकित है। राजस्व करगजातो एवं पंजी 02 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि विवादित खेसरा 1565,1567 अन्य खेसरा 22 के साथ मिलकर जमाबन्दी संख्या 131 रकबा 11 विगहा 15 कट्ठा 14 धुर की जमाबन्दी गोधन अहीर वल्द चोकटी राउत के नाम से वर्तमान में चलता है। उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में विवादित खेसरा में खरउल है हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिया है कि स्थानीय जाँच में पाया कि भूमि परती है, जिसमें खरउल है एवं लोगो ने बताया कि महेन्द्र यादव के द्वारा खर काटा जाता है। आवेदक के पूर्वज के नाम खतियान में सिकमी खाते में अंकित है ग्राम– पंचायत श्रीनगर के सरपंच ने अपने पत्रांक 03, दिनांक 10.02.2012 द्वारा सूचित किया है कि विवादित भूमि वर्तमान परती है, जिसपर खरउल उपजा हुआ है। यह खर आवेदक द्वारा पूर्वज से लेकर अभी तक कटा जाता है। खेसरा संख्या 1565 एवं 1567 तथा अन्य खेसरा 22 मिलाकर जमाबन्दी संख्या 131 रकबा 11 विगहा 15 कट्ठा 14 धुर की जमाबन्दी प्रतिवादी के पूर्वज गोधन अहीर, पिता चोकटी के नाम से जमाबन्दी कायम होकर चलती

आ रही है। यह जमाबन्दी बहुत पुरानी है। खाता 121 एवं 122 का अलग सिकमी खाता वादी के पूर्वज मोलहु अहीर के नाम पर कायम है। अंचल अधिकारी ठकराहाँ ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि चूँकि विवादित खेसरा जमाबन्दी संख्या 113 पुरानी है इस पर छेड–छाड करना उचित प्रतीत नहीं होता है, वादी सिकमी खाता के वंशज है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपना दावा करते है। अतः अंचल अधिकारी ने आदेश दिया है कि इस वाद के निपटाने हेतु वे सक्षम न्यायालय में अपना दावा कर सकते है। उन्होने यह भी लिखा है कि यह वाद जमाबन्दी सुधार से संबंधित है जो उनके क्षेत्राधिकार से वाहर है। अतः उन्होने अभिलेख को इस न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा है।

अंचल अधिकारी, ठकराहॉ से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् महेन्द्र यादव वल्द– स्व0 भरन यादव, नन्दु यादव वल्द–चोकटी राउत सा0–श्रीनगर अंचल–ठकराहॉ को सूनवाई हेतु नोटिस दी गई। गोधन अहीर की तरफ से कारण–पृच्छा दाखिल की गई है। उनका कहना है, कि आवेदक महेन्द्र यादव का प्रश्नगत भूमि न तो दखल–कब्जा है, और ना वे प्रश्नगत भूमि के सिकमीदार या रैयत है। उनका कहना है, कि प्रश्नगत भूमि का खतियान खाता सं0–289 सोभराती मियॉ के नाम से दर्ज है, इस खाता के कॉलम–2 में ही मंदिर भगत का नाम मूरत बीन करके दर्ज है, और इस खाता का खेसरा सं0–1565 एवं 1567 के निश्पतः सिकमी खाता स0–121 एवं 122 मोनहु अहीर के नाम पर अंकित है, आवेदक अपने को इनका वंशज बतलाते है। उनका कहना है, कि खाता सं0–289 का जमांबदी गोधन अहीर के नाम से बेतिया राज में कायम होकर चलती है, और वाद में जमांबदी जमीदारी उन्नमूल के बाद जमीदांरी रिर्टन के आधार पर जमांबदी सं0–131 गोधन अहीर के नाम पर चलती है। विपक्षी ने इस जमीन पर अपना दखल–कब्जा बतलाया है।

विपक्षी का कहना है, कि गोधन अहीर मंदिर भगत के पौत्र है, खतियानी के सिकमी खाता सं0–121 के कॉलम 10 देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि पूर्व के सिकमीदार अनाज मंदिर भगत को बॉटा करते थें। इस तरह प्रश्नगत भूमि पर मालिकाना हक स्थिति में मंदिर भगत की थी। इस तरह मंदिर भगत के परिवार को प्रश्नगत भूमि सहित खाता सं0–289 का सभी जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है। विपक्षी का कहना है, कि आवेदक लगान निर्धारण हेतु आवेदन–पत्र दिये है, जबकि प्रश्नगत जमीन काबिल लगान रैयत भूमि है। जिसका लगान पूर्व से ही कायम है। अतः इस भूमि पर लगान निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता है, विपक्षी का यह भी

21.11.17

कहना है, कि लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को निरस्त करने या छेड–छाड करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक के दावा को गलत बतलाते हुए उसे खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी महेन्द्र यादव एवं नन्दू यादव की तरफ से प्रतिउतर दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि खेसरा संख्या–1567 एवं 1565 सर्वे खतियान में सिकमी खाता संख्या–122, 121 मोलहु अहिर के नाम पर दर्ज है। इन्होंने ने अपने को सिकमीदार का वैधिक वारिस बतलाते हुए कहा है कि मोलहु अहिर जबतक जीवित थे तबतक प्रश्नगत जमीन उनके दखल कब्जा में थी एवं उनके मरने के पश्चात् उनके वैधिक वारिसों के दखल कब्जा में है। जमींनदारी उन्नमूलन के पश्चात् प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज मोलहु अहिर के नाम से स्वीकृत होकर उनके नाम से जमाबंदी संख्या–912 रकबा 2 बिगहा 17 कट्टा 7 धूर कायम हुई, जिसका रसीद 2007–08 तक कटता आ रहा है। इस तरह उनलोगों का कहना है कि बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–48(D) के प्रावधानों के अनुसार मोलहु अहिर पहले से ही रैयत हुए। इस तरह विपक्षी महेन्द्र यादव एवं नन्दू यादव का कहना है कि बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–48(D) के अर्न्तगत वे स्वयं प्रश्नगत जमीन के रैयत हुए एवं जमाबंदी संख्या–912 पूर्व से उनके नाम से चलती रही है। अतः उनका कहना है कि अगर मोलहु अहिर के उत्तराधिकारी प्रश्नगत जमीन की लगान हेतु अंचल अधिकारी के पास जाते है तो अंचल अधिकारी को लगान निर्धारण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर महेन्द्र यादव का दखल कब्जा है। उनका आग्रह है कि जमाबंदी संख्या–912 को मोलहु अहिर के नाम से चलने दिया जाना चाहिए। उनका यह भी आग्रह है कि अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाय कि बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–48(D) के अर्न्तगत सिकमीदार के नाम से नये सिरे से जमाबंदी कायम करे।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, ठकराहाँ के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गोधन अहिर के नाम से जमाबंदी बहुत पूर्व से चलती आ रही है। खाता संख्या–121 एवं 122 का अलग से सिकमी खाता वादी के पूर्वज मोलहु अहिर के नाम पर कायम है। मोलहु अहिर के वंशज को चाहिए था कि वे बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–48(D) के प्रावधानों के अर्न्तगत अंचल अधिकारी को रैयत घोषित करने

21-6-17

हेतु आवेदन पत्र देते, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। सिकमीदार को बिहार काश्तकारी अधिनियम के धारा–48(D) के प्रावधानों के अर्न्तगत Suomoto रैयत घोषित करने का प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिकमीदार को धारा–48(D) के अर्न्तगत अंचल अधिकारी को आवेदन देने का प्रावधान क्यों होता?

उपरोक्त परिस्थिति में महेन्द्र यादव एवं नन्दू यादव के दावा को अमान्य किया जाता है। चूँकि गोधन अहिर के नाम से जमाबंदी बहुत पूर्व से चलती आ रही है। अतः उसे रद्द करने की शक्ति राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस परिस्थिति में अगर महेन्द्र यादव वगैरह चाहे तो सक्षम न्यायालय में गोधन अहिर के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन दे सकते है।

अतः अंचल अधिकारी, ठकराहाँ के आदेश को सही पाते हुए महेन्द्र यादव वगैरह के दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, ठकराहाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

21-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

23-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।